मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, अधिसूचना क्र. 30-182 दस-3 दिनांक 18-7-84 (म.प्र. राजपत्र, असाधारण दिनांक 25-7-84 पृष्ठ 1909-1931 में प्रकाशित)

मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्र. 13 वर्ष 1984) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित निमय, जो कि उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्ष्ज्ञित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये गए हैं, बनता है; अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम - इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984" है।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है 'काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13, वर्ष 1984)'

(ख) "खण्ड वन अधिकारी" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय वन खण्ड (Forest Division) का भारसाधक अधिकारी।

(ग) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप।

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम का धारा।

3. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

(1) कोई भी व्यक्ति धारा 4 के अधीन किसी आरा मिल या आरा गड्ढे की स्थापना करने के लिए या ऐसी आरा मिल या आरा गड्ढे की जो नियम दिन को अस्तित्व में हो, चलाने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्ति करने हेतु अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) आरा मिल या आरा गड्ढे की स्थापना के लिए आवेदन प्रारूप "क" में होगा और किसी ऐसी आरा मिल या गड्ढे को, जो नियत दिन को अस्तित्व में हो, चलाने के लिये आवेदन प्रारूप "ख" में होगा। ऐसे आवेदन पत्र का प्रारूप सम्बन्धित अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय से या किसी अन्य अनुज्ञापन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा।

(3) आरा मिल या आरा गड्ढे की अनुज्ञप्ति की मन्जूरी हेतु प्रत्येक आवेदन के लिये अप्रत्यावर्णीय फीस (Non-refundable fees) क्रमशः [1]एक हजार पाँच सौ रूपये या सौ रुपये का भुगतान किया जावेगा। वन विभाग द्वारा धन के प्रतिग्रहण के लिये विहित नियमों के अनुसार रकम ऐसे वन खंड के लेखे में ये होगी, जिसमें आरा मिल या आरा गड्ढा पहिले से संचालित किया जा रहा है या स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित है। प्रत्येक आरा मिल या आरा गड्ढे का अलग-अलग आवेदन करना अपेक्षित है।

(4) (एक) आरा मिल या गड्ढे की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन, सभी प्रकार से पूर्णतया विहित आवेदन फीस सम्मिलित करते हुए अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।

---

1. अधि. क्र. 30-24-91-ड-3 दिनांक 29.3.93 से नियम (तीन) में पाँच सौ रुपये या पचास रुपये के स्थान पर रुपये एक हजार पाँच सौ तथा सौ रुपये प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र दिनांक 30.3.93 पृष्ठ 155 पर प्रकाशित।

(दो) किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या किसी कम्पनी की ओर से आवेदन करने के लिए तब तक अनुज्ञात (Allowed) नहीं किया जावेगा जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या कम्पनी द्वारा उसके या उनकी ओर से कार्य करने के लिए उसे सशक्त करते हुए निष्पादित किये हुए मुख्तारनामें (Power of attorney) की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न न कर दी हो तथा उसकी (मुख्तारनामा) (Power of Attorney) मूल प्रति या उस कम्पनी का जिसका वह भागीदार होने का

दावा करता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration) अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न कर दें।

(तीन) कोई सहकारी सोसायटी इस सम्बन्ध में पारित संकल्प (Resolution) की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संलग्न करके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी :

परन्तु संकल्प की ऐसी प्रमाणित प्रति (Certified Copy) सरकार के स्वामित्व के निगम के मामले में आपेक्षित नहीं होगी।

(5) ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ कोषागार का चालान संलग्न किया जावेगा, जिसमें आरा मिल के लिये अग्रिम प्रतिभूति के निक्षेप के रूप में (राजस्व निक्षेप) (Revenue Deposit) के अधीन एक हजार रुपये का नगद निक्षेप सम्बन्धित अनुज्ञापन अधिकारी के पद नाम से किया गया दर्शाया गया हो। राजस्व निक्षेप के लिये चालान भी अनुज्ञापन अधिकारी के कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकेगा।

(6) अनुज्ञप्ति मंजूर करने के इन्कार करते समय अनुज्ञापन अधिकारी अन्य किसी बात के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर भी विचार करेगा जो उसकी राज में अनुज्ञप्ति मन्जूर करने से इन्कार करने को न्यायोजित ठहरती है-

(एक) क्या आरा मिल या आरा गड्ढे का स्थान निकटतम सरकारी वन की ऐसी सीमाओं के भीतर है जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की गई है।

(दो) क्या क्षेत्र में चिराई के प्रयोजन के लिए काष्ठ की उपलब्धता, नवीन आरा मिल या आरा गड्ढे की स्थापना की आवश्कता के लिए पहिले से पर्याप्त नहीं हैं।

(तीन) क्या आरा मिल या आरा गड्ढे की स्थापना से वृक्षों की अवैध कटाई पहिले से ही हो रही है या भविष्य में होने की सम्भावना है, तथा यह वन एंव पर्यावरण (Environment) के संरक्षण व सुरक्षा के विपरीत होगी।

(चार) क्या इस अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति या कम्पनी गम्भीर प्रकृति के वन अपराधों की दोषी पाई गई हैं।

4. अनुज्ञप्ति की मंजूरी - (1) अनुज्ञापन अधिकारी प्रारूप "ग" में अनुज्ञप्ति मन्जूर करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगी :

(क) आरा मिल या आरा गड्ढों में चिराई की कार्य सूर्यास्त के पश्चात् या सूर्योदय के पूर्व नहीं किया जावेगा जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा लिखित में अनुज्ञात न किया गया हो।

(ख) ऊपर खण्ड (क) के अधीन मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति तथा अनुज्ञा की प्रमाणित प्रतियाँ आरा मिल या आरा गड्ढों में प्रमुख स्थान पर सम्प्रदर्शित (Displayed) की जावेगी।

(ग) चिराई तथा व्ययन (Disposal) के लिए संग्रहित किये गये काष्ठ का तारीख वार लेखा इस प्रयोजन के लिये नियम (6) के उप नियम (1) में विहित किये गये प्रारूप में रखा जावेगा।

(घ) केवल चिराई के लिये प्राप्त काष्ठ का आगम, चिराई तथा व्ययन का मासिक लेखा, इस प्रयोजन के लिये नियम 6 के उपनियम 2 में विहित किये गये प्रारूप में रखा जावेगा।

(ङ) लेखाओं के रजिस्टर, अनुज्ञापन अधिकारी के या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष, यदि ऐसी अपेक्षा की जावे, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जावेंगे।

(च) यदि अनुज्ञप्तिधारी (Licence) या आरा मिल या आरा गड्ढे के संचालन के भारसाधक व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि आरा मिल या आरा गड्ढे के लिये लाया या काष्ठ अवैध है, तो वह यथा संभव शीघ्र निकटतम रेन्ज ऑफिसर को ऐसी अवैध काष्ठ के आगम की सूचना देगा तथा ऐसी काष्ठ की चिराई नहीं की जावेगी।

(छ) आरा मिल या आरा गड्ढे के विस्तार (Expansion) या उसका स्थान परिवर्तन अनुज्ञापन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा (Permission) के बिना नहीं किया जावेगा।

(3) अनुज्ञप्ति [1]तीन कैलेन्डर वर्ष तक, जिसके लिये वह जारी की गई, विधिमान्य होगी।

(4) अनुज्ञापन अधिकारी, आवेदक की अनुज्ञप्ति मन्जूर करने के पूर्व, उसे शर्तों की प्रति, जिसके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जा रही है, और लेखे रखने के प्रारूपों की प्रतियाँ, जिसमें चिरान के लिए काष्ठ आगम, चिरान तथा व्ययन के लेखे रखे जावेंगे, दिखावेगा। अनुज्ञापन अधिकारी, इस शर्तों को आवेदक, यदि वह पढ़ने में असमर्थ है, तो समक्ष पढ़ेगा और प्रारूप की विषय वस्तु को समझावेगा। अनुज्ञापन अधिकारी, इन शर्तों की स्वीकृति के रूप में आवेदक के हस्ताक्षर या अँगूठे के निशान जैसी भी स्थिति हो, अभिप्राप्त करेगा। शर्तों तथा प्रारूपों की एक-एक प्रति, जिनमें लेखे रखें जावेंगे, आवेदक को प्रदाय की जावेगी।

(5) यदि अनुज्ञप्ति खो जाये या विक्रत हो जावे तो प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिये दस रुपये तक भुगतान पर उसकी एक प्रमाणित प्रति अनुज्ञापन अधिकारी से अभिप्राप्त की जा सकेगी।

5. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण -

(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन अधिकारी, को, उस कैलण्डर वर्ष के, जिसके लिये अनुज्ञप्ति विधिमान्य है, समाप्त होने के कम से कम एक मास पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करेगा।

(2) आरा मिल के लिये, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन फीस सौ रूपये होगी और आरा गड्ढे की दस रुपये होगी।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसी जाँच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर सकेगा या उसमें संक्षिप्त कारण दर्शाते हुए लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकेगा:
परन्तु अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये इन्कार का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) अनुज्ञप्ति केवल एक कैलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत की जायेगी। परन्तु उस कालावधि के सम्बन्ध में, जिसके दौरान अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन विचारार्थ लम्बित हो या समझा जावेगा मानो कि ऐसी अनुज्ञप्ति अधिनियम के अधीन नवीकृत कर दी गई थी और अनुज्ञप्तिधारी आरा मिल या आरा गड्ढे का तद्नुसार चला रहा था।

(5) अनुज्ञप्ति उन्हीं शर्तों पर नवीकृत की जावेगी जिन शर्तों पर वह मंजूर की गई थी। परन्तु जब तक प्रतिकूल कारण न हो अनुज्ञप्ति सामान्य: नवीकृत की जावेगी।

6. विवरणी प्रस्तुत करना -

(1) अनुज्ञप्तिधारी चिराई तथा व्ययन के लिए तारीख वार क्रय किये गये काष्ठ का एक रजिस्टर प्रारूप घ-1 में रखेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी केवल चिराई के लिए प्राप्त काष्ठ के आगम (Receipt) चिराई (Sawing) और व्ययन (Disposal) के माहवारी लेखे का एक रजिस्टर प्रारूप "घ-2" में रखेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी इन लेखाओं की विवरणी, आगामी मास की दस तारीख तक सम्बन्धित परिक्षेत्र अधिकारी तथा अनुज्ञापन अधिकारी को प्रारूप घ-3 में प्रस्तुत करेगा।

7. विद्युत संयोजन (Electric Connection) प्रतिष्ठापन (Installation) - अनुज्ञापन अधिकारी उन व्यक्तियों को, जिन्होंने पहले से ही स्थापित आरा मिलों को चलाने के लिए या नई आरा मिलों को स्थापित करने तथा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है, आरा मिलों के नाम के साथ एवं सूची मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सम्बन्धित प्रभागीय इन्जीनियर (Divisional Engineer) को देगा। अनुज्ञापन अधिकारी, उन व्यक्तियों की, जो विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना आरा मिल को चला रहा है या जिनकी अनुज्ञप्ति या तो प्रतिसंहृत कर ली गई है या निलम्बित कर दी गई है, आरा मिलों के नाम के साथ एक सूची भी (संभागीय अधिकारी, विद्युत मंडल को) देगा। जैसे ही अनुज्ञापन अधिकारी की जानकारी में यह आता है कि कोई व्यक्ति मान्य अनुज्ञप्ति के बिना आरा मिल चला रहा है तो वह उस व्यक्ति का नाम तथा साथ ही आरा मिल का नाम और उसकी स्थिति मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सम्बन्धित प्रभागीय इन्जीनियर को सूचित करेगा।

(2) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रभागीय इन्जीनियर यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वे ही आरा मिलें, जिनके स्वामी सम्बन्धित अनुज्ञापन अधिकारी से अभिप्राप्त विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन उन्हें चला रहे हैं विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं।

(3) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रभागीय इन्जीनियर या तो इस सम्बन्ध में उसे निर्देश देने पर या अन्यथा, कि कोई आरा मिल विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना चलाई जा रही है, ऐसा आरा मिल को विद्युत ऊर्जा बन्द करने के लिए तुरन्त कदम उठावेगा।

(4) जहाँ विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना चलाई जा रही आरा मिल विद्युत ऊर्जा का उपभोग चिराई प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिये भी किया जा रहा हो, वहाँ ऊर्जा का प्रदाय उस समय तक के लिये बन्द रहेगा, जब तक कि मिल का स्वामी विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ले या आरा मिल को चलाने हेतु उपयोग में लाये जा रहे साधित्रों (Plants), मशीनरी तथा उपस्करों (Implements) का व्ययन (Disposal) न कर दें।

8. प्राधिकारी जिसे अपील की जायेगी - अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपील सम्बन्धित क्षेत्रीय वन वृत्त के वन संरक्षक को की जावेगी।

प्रारूप "क"

(नियम 3 (2) देखिये)

नई आरा मिल/आरा गड्ढा स्थापित करने तथा चलाने के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन।

1. आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम ....
(कम्पनी के मामले में भागीदारों तथा कम्पनी
की और से कार्य करने के लिये मुख्यतारनामा
धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम दीजिए)

2. व्यवसाय ....

3. पूरा पता ....

4. आरा मिल/आरा गड्ढे की प्रस्तावित स्थिति ....
(स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया जावे) ....

5. क्या आवेदक पूर्व से ही आरा मिल/आरा गड्ढे
का स्वामित्व रखता हो तथा चला रहा है ....

6. यदि (5) का उत्तर "हाँ" है तो आरा मिल,
आरा गड्ढे के बयौरे दीजिये : ....
(क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष ....
(ख) आरा मशीन का क्रमांक ....
(ग) गतिदायी शक्ति (Motive Force) तथा अश्व शक्ति ....
(घ) मासिक क्षमता (Monthly Capacity) ....
(ङ) कोई अन्य जानकारी ....

7. स्थापित की जाने वाली आरा मिल/आरा गड्ढे ....
की मासिक क्षमता

8. काष्ठ की सामान्य जातियाँ जिनकी चिराई की जावेगी ....

9. स्रोत जहाँ से काष्ठ अभिप्राप्त किया जावेगा ....

10. कालावधि जिसमें आरा मिल के ब्यौरे/आरा गड्ढा
स्थापित किया जायेगा ....

11. स्थापित की जाने वाली आरा मिल के बयौरे ....
(क) आरा मशीनों की संख्या ....
(ख) गतिदायी शक्ति तथा अश्व शक्ति ....
(ग) अन्य कोई जानकारी ....

12. कोई अन्य क्रिया-कलाप जो आरा मिल/आरा गड्ढे में किया जाना प्रस्तावित है ....
13. आवेदन फीस के भुगतान का विवरण ....
14. प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान का विवरण ....

प्रारूप "ख"

(नियम 3 (2) देखिये)

पहले से स्थापित आरामिल/गड्ढे को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन

1. आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम ....
   (कम्पनी के मामले में भागीदारों तथा कम्पनी की और से कार्य करने के लिये मुख्यतारनामा धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम दीजिए)
2. व्यवसाय ....
3. पूरा पता ....
4. आरा मिल/आरा गड्ढे की स्थिति का ब्यौरा आरा मिल/आरा गड्ढे की अवस्थिति का मानचित्र तथा रेखाचित्र भी संलग्न किया जावे।
5. आरा गड्ढे के ब्यौरे दीजिये : ....
   (क) आरा मशीन का मेक तथा वर्ष ....
   (ख) आरा मशीन का संख्या ....
   (ग) विद्युत या यान्त्रिक मोटर की अश्व शक्ति ....
   (घ) गतिदायी शक्ति का प्रकार ....
   (ङ) अन्य कोई जानकारी ....
6. आरा मिल/आरा गड्ढे की मासिक क्षमता ....
7. काष्ठ की प्रजातियाँ जिनकी सामान्यत: चिराई की जाती है। ....
8. स्रोत जहाँ से काष्ठ अभिप्राप्त किया जाना है ....
9. चिराई के अलावा अन्य कार्य-कलाप जो आरा मिल/आरा गड्ढे में किया जाता है ....
10. किसी अन्य आरा मिल/आरा गड्ढे के ब्यौरे जिसके लिये पहले ही अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है या जिसके लिये आवेदन किया गया है ....
11. आवेदन फीस के भुगतान का विवरण ....
12. प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान का विवरण ....

घोषणा

मैं/हम .... एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उसका पालन करने हेतु सहमत हूँ/हैं/

दिनांक (आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रारूप "ग"

(नियम 4 (1) देखिये)

स्थापित आरामिल को चलाने एवं नवीनकरण के लिये तथा नई आरा मिल स्थापित करने तथा चलाने के लिए :

1. आवेदक का नाम, तथा उसके पिता का नाम ....
(कम्पनी के मामले में भागीदारों तथा मुख्तारनामा
धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम दिये जावें)

2. व्यवसाय ....

3. पूरा पता ....

4. आरा मिल की स्थिति के ब्यौरे ....

5. भूमि की विधिक प्रास्थिति और भूमि के स्वामित्व
जिस पर आरा मिल स्थापित है या
स्थापित करना प्रस्तावित है ....

6. आरा मिल के ब्यौरे ....
(क) चिराई मशीन का मेक तथा वर्ष ....
(ख) चिराई मशीन की संख्या ....
(ग) गतिदायी शक्ति का प्रकार तथा अश्वशक्ति ....

7. आरा मिल की मासिक क्षमता ....

8. काष्ठ की जाति जिसकी सामान्यतः चिराई की जानी है ....

9. वह कालावधि जिसमें आरा मिल
स्थापित किया जावेगा ....

10. चिराई से भिन्न अन्य क्रिया-कलाप जो आरा मिल
में किया जावेंगे ....

11. वह कालावधि जिसके लिये अनुज्ञप्ति मंजूर/नवीकृत
की जा रही है ....

स्थान .... (अनुज्ञापन अधिकारी का नाम)

दिनांक .... पद सील

(कार्यालय की मुद्रा)

टिप्पणी 1. वे शर्तें जिनके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जा रही है और प्रारूप जिनके लेखे रखे जावेंगे, अनुज्ञप्तिधारी को दे दिये गये है और उनके बारे में उन्हें पूर्ण रूप से समझा दिया गया है।

2. इसके प्रतीक के स्वरूप अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर अभप्राप्त कर लिये गये हैं।

प्रारूप "घ" - 1

क्रय की गई काष्ठ की आवक तथा निवर्तन का दिनांक .... से .... तक विवरण आरा मशीन/आरा गड्ढा का नाम .... स्थान .... पत्रक प्रस्तुतीकरण का दिनांक ....

तिमाही के पूर्व की मात्रा				वन विभाग से प्राप्त काष्ठ का विवरण						अन्य स्रोतों से प्राप्त काष्ठ					
जाति	लट्ठे घ.मी.	चिरान घ.मी.	दिनांक	परिवहन अनुज्ञापत्र क्रमांक	डिपो का नाम	प्रजाति	नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	दिनांक	परिवहन	प्राप्ति का स्रोत	प्रजाति	नग	लट्ठा घ.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

कुल प्राप्ति				निवर्तन का विवरण						अवशेष मात्र					
ग्रेड	चिरान	जाति	नग	लट्ठे घ.मी.	चिरान घ.मी	नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	प्रजाति	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	अन्य विवरण
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

1) इस फार्म में जानकारी दिनांक वार भरी जायेगी।

2) प्रपत्र के अन्त में सभी कालम का योग लगाया जायेगा।

मालिक या भागीदार के हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक ....

प्रारूप "घ" - 2

व्यक्ति/फर्म से केवल चिरान करने हेतु प्राप्त काष्ठ का त्रैमासिक विवरण

दिनांक .... से दिनांक .... तक

आरा मशीन/आरा गड्ढा का नाम ....स्थिति ....

प्रारम्भिक मात्रा							तिमाही में प्राप्त मात्रा						
अनु.	प्रजाति	नग	लट्ठे घ.मी.	चिरान घ.मी.	दिनांक	ट्रांजिट पास क्रमांक और दिनांक	काष्ठ लगाने वाले व्यक्ति का नाम	प्रजाति	नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	प्रजाति	नग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

दिन में चिरान की गई मात्रा				काष्ठ के मालिक को दी गई मात्रा						निवर्तन से शेष मात्रा			
लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	प्रजाति	नग	लट्ठे घ.मी.	प्राप्त चिरान घ.मी	बिल क्र. दिनाक या अन्य प्रमाण	प्रजाति	घन मीटर	प्रजाति	नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	अन्य विवरण
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

(1) यह प्रपत्र दिनांकवार भरा जायेगा।

(2) तिमाही के अन्त में सभी कालम का योग किया जायेगा।

मालिक/भागीदार के हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक ....

प्रारूप "घ" - 3

.... मास के दौरान चिरान के लिए क्रय किया या लाए गये काष्ठ आवक तथा व्ययन का मासिक विवरण।

प्रारम्भिक स्टाक			क्रय की गई मात्रा केवल चिरान के लिए जाई गई मात्रा						योग		मास के दौरान चिरान की गई मात्रा	
प्रजाति	लट्ठा नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	लट्ठा घ.मी.	घ.मी.	चिरान घ.मी.	लट्ठा नग	लट्ठा घ.मी.	लट्ठा नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	लट्ठा नग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विक्रय			अन्तर्जातीय		चिरान के बाद स्वमी को प्रदत्				अतिशेष		अभियुक्तियाँ	
लट्ठा घ.मी.	प्राप्त चिरान	स्थानीय लट्ठा नग	घ.मी.	चिरान घ.मी.	लट्ठा नग	लट्ठा घ.मी.	चिरान घ.मी.	चिरान घ.मी.	लट्ठा नग	घ.मी.	चिरान	चिरान घ.मी.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 25.6.97, पृ. 1347-48 पर प्रकाशित।